न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या: 12/39/2024 GCMS No. 2024/54

पेश दिनांक: 12.06.2024 **निर्णय दिनांक:** 09.04.2026

राज्य सरकार जरिये उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढ़बास, हाल खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

बनाम

मै. वी. के. प्लास्टिक एफ–7 (बी), रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी, प्रतिनिधि संतोष तिवारी पुत्र श्री रंजीत तिवारी, जाति शर्मा, निवासी औरंगाबाद, बिहार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत– आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) सहपठित उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985

उपस्थितिः

1. विभागीय प्रतिनिधि – उपस्थित
2. अप्रार्थी – अनुपस्थित

निर्णय

उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढ़बास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप यह है कि दिनांक 20.05.2022 को भारत सरकार एवं कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर के संयुक्त दल द्वारा रीको इंडस्ट्रियल एरिया, भिवाड़ी स्थित फर्म/कम्पनी वी. के. प्लास्टिक एफ–7 (बी) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिसर में संवर्धक नीम कोटेड यूरिया पाया गया। फर्म के प्रतिनिधि संतोष तिवारी से उक्त यूरिया के बिल एवं प्राप्ति स्थल के संबंध में पूछताछ की गई, किन्तु वह संतोषजनक अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। तत्पश्चात टीम सदस्य द्वारा उक्त सामग्री को संदिग्ध मानते हुए नमूना आहरित कर परीक्षण हेतु राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। प्रार्थना–पत्र में नमूना कोड MKF/22/01 अंकित है।

अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि निरीक्षण दिनांक 20.05.2022 को सायं लगभग 7:30 बजे तक चला, मौके पर पंचनामा/रिपोर्ट तैयार की गई तथा सामग्री खुले कंटेनर में होने से उसी रात जब्ती की कार्यवाही पूर्ण न हो पाने के कारण पुलिस अभिरक्षा में रखवाई गई। अगले दिन 21.05.2022 को विभागीय अधिकारियों एवं फर्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त सामग्री को कट्टों में पैक कर जब्त किया गया। प्रार्थना–पत्र में उल्लेख है कि टीम द्वारा उक्त सामग्री लगभग 2000 किलोग्राम आंकी गई थी, जबकि कट्टों में भरने के उपरांत कुल 2790 किलोग्राम (45 किलोग्राम के 62 बैग) पाई गई।

अभिलेख के अनुसार उक्त संवर्धक नीम कोटेड यूरिया का उपयोग फर्म द्वारा फैक्ट्री में क्राकोरी का पाउडर निर्माण के कार्य में किया जा रहा था, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रावधानों के विपरीत पाया गया। पृष्ठ 2 के कथन तथा पृष्ठ 4 के निर्णय भाग से यह स्पष्ट है कि इस आधार पर उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के क्लॉज 19 एवं 28(1)(छ) के अंतर्गत दिनांक 21.05.2022 को उक्त जब्त सामग्री जप्त की गई। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि जब्त सामग्री 45 किलोग्राम के 62 बैग संवर्धक नीम कोटेड यूरिया के रूप में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, टपूकड़ा, पंचायत समिति तिजारा, जिला अलवर हाल जिला खैरथल–तिजारा के व्यवस्थापक को सुपुर्द की गई।

विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का समर्थन करता है। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार उसके पक्ष से ऐसा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त स्टॉक के विधिसम्मत उपयोग, भंडारण अथवा कब्जे का संतोषजनक स्पष्टीकरण स्थापित हो सके। परीक्षण रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट, जब्ती कार्यवाही तथा सुपुर्दगी संबंधी अभिलेखों के समग्र अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि जब्त उर्वरक का उपयोग उर्वरक प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य औद्योगिक प्रयोजन में किया जा रहा था, जो उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कार्यवाही योग्य है।

जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा

अतः उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री, विभागीय कथन, नमूना परीक्षण एवं जब्ती–सुपुर्दगी संबंधी दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

1. उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढ़बास द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ए) के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है।
2. प्रकरण में जब्त 45 किलोग्राम के 62 बैग, कुल 2790 किलोग्राम संवर्धक नीम कोटेड यूरिया राज्य सरकार के पक्ष में राजसात किए जाते हैं।
3. जब्त सामग्री के संबंध में नियमानुसार आगे की कार्यवाही सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा की जाए।
4. जब्त सामग्री की सुपुर्दगीधनिस्तारण संबंधी कार्यवाही विधि अनुसार सुनिश्चित की जाए।
5. निर्णय की प्रमाणित प्रति उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), किशनगढ़बास, हाल खैरथल–तिजारा को आवश्यक अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।
6. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण प्रकाश)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)